



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 348 राँची, गुरुवार

31 वैशाख, 1937 (श०)

21 मई, 2015 (ई०)

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 मई, 2015

एस.ओ.-50 दिनांक 21 मई, 2015— झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर को निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद पर देय मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करते हैं बशर्ते रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर के स्वामी, यह प्रमाणित करें कि उक्त वस्तुएँ रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर के उपयोग के लिए ही हैं:-

1. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी वस्तुएँ
2. साईंस लेबोरेटरी वस्तुएं
3. खेलकूद से संबंधित वस्तुएं
4. दवाएं
5. वाहन के टायर एवं ट्यूब एवं उनके पार्ट्स
6. कार्यालय उपकरण
7. फर्नीचर

8. फर्नीचर के मरम्मती एवं रख-रखाव से संबंधित वस्तुएं
 9. भवनों की मरम्मती एवं रख-रखाव से संबंधित वस्तुएं
 10. बिल्डिंग मैटेरियल्स
 11. इलेक्ट्रिकल गुड्स एवं
 12. कम्प्यूटर
 13. डीजल जेनेरेटर सेट
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी एवं दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्रवृत्त रहेगी ।
 3. संस्था को निशुल्क कार्यों के लिए ही कर-विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी ।

घोषणा पत्र

अधिसूचना सं०	एस० ओ०	दिनांक
पुस्तिका सं०	प्रपत्र सं०	

सेवा में,

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बिल /कैश मेमो संख्या दिनांक
 रू०..... द्वारा खरीदा गया माल रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी,
 बिष्टुपुर, जमशेदपुर के उपयोग के लिए है तथा वे अधिसूचना संख्याएस० ओ०
 दिनांकद्वारा आच्छादित है ।

स्थान	हस्ताक्षर
तिथि	पदनाम

(संचिका संख्या वैट /विमुक्ति /1 /2006/1757)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग,

झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 348--50 ।